न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 02/2020 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2020/00003)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद जाति प्रजापति,उम्र 28 वर्ष निवासी नगलाविधौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर तथा अन्य ————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1 – प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री प्रमोद सिंह परमार एडवोकेट

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 21.02..2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 25.1.2020 को घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग की जांच करने हेतु धौलपुर बाडी रोड पर चित्रांग कोलोनी 132 के.बी. के पास धौलपुर पहुँचे तथा मौके पर क्यू.आर.टी. प्रभारी श्री सुमन कुमार उपनिरीक्षक मय टीम तथा थाना कोतवाली धौलपुर के उपनिरीक्षक श्री राजेश यादव मय टीम कार्यवाही में उपस्थित रहे। मौके पर गैस की अवैध रिफिलिंग के स्थल पर अप्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद उपस्थित मिला जिसने घरेलू गैस को ऑटो रिक्शा में रिफिल करना स्वीकार किया तथा अवैध रिफिलिंग स्थल पर 13 गैस सिलेण्डर, 4 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट) पाइप से जुडी हुई, इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन उपलब्ध पाये। अप्रार्थी ने उक्त मकान को किराये पर लेना बताया गया है तथा वक्त जांच घरेलू गैस की अवेध रिफिलिंग ऑटो रिक्शा में करना तथा उक्त सिलेण्डर,इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना तथा ऑटो रिकशा में 60 रू प्रति लीटर के हिसाब से गैस भरना स्वीकार कर बयान किया। मौके पर 4 ऑटो रिक्शा मय चालक उपस्थित मिले उक्त ऑटो चालको ने इसी अवैध गैस रिफिलिंग स्थल से पूर्व में भी ऑटो रिक्शा में घरेलू गैस भरवाना तथा 60 रू प्रति लीटर

—2—

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

के हिसाब से रिफिलिंग करवाना स्वीकार कर बयान किया। मौके पर अप्रार्थी श्री सुनील कुमार द्वारा घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के सबंध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराये। इस प्रकार अप्रार्थी के बयान,ऑटोरिक्शा चालकों के बयान तथा मौके पर मिले गैस सिलेण्डरों, इलैक्ट्रिक पम्प, इलैक्ट्रिक कांटा तथा अवैध रिफिलिंग हेतु आए ऑटो रिक्शा से घरेलू गैस की व्यवसायिक उपयोग हेतु ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग किया जाना स्पष्ट होता है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2000 का उल्लघंन पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. एंव अन्य उपकरण को राजसात करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, फोटो प्रति मौका फर्द, फोटो प्रति नजरीनक्शा, फोटोप्रति बयान किता–5, फोटोप्रति फर्द तलपटटी की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री प्रमोद कुमार परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी से कोई भी घरेलू गैस को ऑटो रिक्शा में रिफिल नहीं किया गया और ना ही कोई गैस सिलेण्डर व अन्य सामन अप्रार्थी के कब्जे से जब्त किया गया गया है। अप्रार्थी के द्वारा कोई भी घरेलू गैस रिफलिंग का कार्य नहीं किया गया है। जब तक सिविल कोर्ट से अप्रार्थी के प्रकरण का फैसला नहीं हो जाता तब तक राजसात करने की प्रकिया महत्वहीन है। अतः प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाही निरस्त की जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्धान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त जांच घरेलू गैस की अवेध रिफिलिंग ऑटो रिक्शा में करना तथा उक्त सिलेण्डर,इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना तथा ऑटो रिकशा में 60 रू प्रति लीटर के हिसाब से गैस भरना स्वीकार कर अप्रार्थी ने अपने बयान में किया है। मौके पर 4 ऑटो रिक्शा मय चालक उपस्थित मिले उक्त ऑटो चालको ने इसी अवैध गैस रिफिलिंग स्थल से पूर्व में भी ऑटो रिक्शा में घरेलू गैस भरवाना तथा 60 रू प्रति लीटर के हिसाब से रिफिलिंग करवाना स्वीकार कर बयान किया है। मौके पर अप्रार्थी श्री सुनील कुमार द्वारा घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के सबंध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है। उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी. जी. एंव अन्य उपकरण को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से कोई भी घरेलू गैस को ऑटो रिक्शा में रिफिल नहीं किया गया और ना ही कोई गैस सिलेण्डर व अन्य सामन अप्रार्थी के कब्जे से जब्त किया गया गया है। जब्त शुदा गैस सिलेण्डरों व अन्य सामान का किसी प्रकार से कोई सम्बध अप्रार्थी का नहीं है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनांक 25.1.2020 को घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग की जांच के दौरान मौके पर अप्रार्थी से अवैध रिफिलिंग स्थल पर 13 गैस सिलेण्डर, 4 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट) पाइप से जुडी हुई, इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन उपलब्ध पाये जिनका प्रयोग घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग में किया जाना स्वीकार किया है। अप्रार्थी ने उक्त मकान को किराये पर लेना बताया गया है, उक्त सिलेण्डर, इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वंय का होना तथा ऑटो रिक्शा में 60 रू0 प्रति लीटर के हिसाब से गैस भरना स्वीकार कर अपना बयान दर्ज किया है। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग किया जाना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन है! अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन होना सिद्ध पाया जाता है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 13 गैस सिलेण्डर, 4 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट) पाइप से जुडी हुई, इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वजन मशीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(जिला कलक्टर, धौलपुर)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर (राज0)